उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज।

पत्रांक– 8162 /153 (2019)/अधियाचन/2020–21 दिनांक 07/12/2020

विज्ञप्ति

सिविल अपील संख्या–8300/2016 संजय सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 शासन व अन्य में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.08.2020 के अनुपालन के दृष्टिगत एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों हेतु भिन्न–भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने, जीवविज्ञान विषय को विज्ञान विषय में सम्मिलित करने की आवश्यकता एवं प्रतियोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन संख्या–01/2020 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी0जी0टी0) व विज्ञापन संख्या–02/2020 प्रवक्ता (पी0जी0टी0) के विज्ञापन दिनांक 29.10.2020 को चयन बोर्ड की विज्ञप्ति– 8001/208(2020)/अधियाचन/2020–21 दिनांक 18.11.2020 द्वारा निरस्त किया गया है।

चयन बोर्ड के संज्ञान में यह आया है कि दिनांक 08.11.2019 तक ऑनलाइन प्राप्त विज्ञान विषय के अधियाचन में जीवविज्ञान विषय की रिक्ति को भी शामिल किया गया है। विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में ही जीवविज्ञान समाहित है। जीवविज्ञान विषय को विज्ञप्ति में सम्मिलित करने के लिए पूर्व में प्राप्त विज्ञान विषय के अधियाचन को निरस्त करके विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषय का अलग–अलग ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषय का ऑनलाइन अधियाचन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन अधियाचन पोर्टल **दिनांक 08.12.2020 से 15.12.2020** तक खोले जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट करना है कि यह अधियाचन पोर्टल मात्र विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषय के लिए खोला गया है अन्य किसी विषय के लिए नहीं।

इस हेतु प्रेषित यूजर मैनुअल का अध्ययन करते हुए उसमें दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार विज्ञान एवं जीवविज्ञान विषय के अलग–अलग अधियाचन उक्त अवधि के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा भेजना सुनिश्चित किया जायेगा। दिनांक 15.12.2020 के पश्चात् कोई भी अधियाचन स्वीकार नही होगा।

07-12-2020

उपसचिव
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।